us"kuylhMIdkWjiksjs"kufyfeVsM
¼Hkkjr ljdkjdkmiØey?kqjRu daiuh½
"An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company"
dsUnzh; jkT; QkeZ] lwjrx<+
ftykJhxaxkuxj ¼jkt-½
Qksu% 01509&223873
bZ&esy %ago.csfsuratgarh@gmail.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking Miniratna Company)
"An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company"
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Distt:- SriGanganagar

सी.एस.एफ./2–65/VOL-II/कृषि/18–19/ दिनॉक :–02.01.2019

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.) में रबी 2018–2019 में बोई गई सरसों 2250.0 एकड, तोरिया 211.5 एकड व चना 6084.0 एकड की कटाई/थ्रेसिंग करने हेतु सीलबंन्द निविदायें/खुली बोली चकवार ब्लॉकवार दिनांक 29.1.2019, 04.02.2019 व 07.2.2019 को दोपहर 1.00 बजे तक आमत्रित की जाती है जो कि उसी दिन सांय 2.00 बजे कमेटी द्वारा खोली जायेगी। धरोहर राशि रूपये 10000/– मात्र का डी.डी. प्रत्येक चक के लिए और रू. 136/– निविदाफार्म राशि डी.डी. जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड** सूरतगढ के नाम देय हो, जमा कराना होगा। निविदा प्रपत्र एवम् कार्य के नियम व शर्तें निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है । सफल बोलीदाता को छोडी गई फसल की बोली की 25 प्रतिशत रकम उसी समय जमा करानी होगी, तथा असफल बोलीदाता की राशि चैक द्वारा लौटा दी जायेगी। निविदादाता को पेन नं. व स्थाई पते की प्रति देनी होगी।

प्रबन्धक (उत्पादन)

Particulars	**Details**
Date of issue of NIT	03.01.2019
Tender Document Download Start Date/time Tender Document Download End Date/time	03.01.2019 9.30 AM 29.01.2019 1.00 PM
Date and time for submission of off line bid	03.01.2019 9.30 AM 29.01.2019 1.00 PM
Date and time of opening of Technical Bid & Tender	29.01.2019 2.00 PM
Tender Fee (To be deposited through D.D.)	Rs. 136.00 (One hundred Thirty Six Only)
EMD (To be deposited through D.D.)	Rs. 10,000.00 Each Chak
Address for Communication	DGM (Farm) Central State Farm, Suratgarh National Seeds Corporation Ltd- 335804
Contact Person (with Phone No & E-Mail)	Gajanand Singh Manager (P) 8239107997 e-mail ID ago.csfsuratgarh@gmail.com

निदेशक,
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

रबी 2018–19 की फसलों की कटाई /गहाई के लिए टेन्डर

ब्लाक नम्बर	चक नम्बर	बिजाई का क्षेत्र एकड में			दर प्रति एकड रूपयों में जो फार्म में जमा करानी हो		
		सरसों	तोरिया	चना	सरसों	तोरिया	चना
कार्य का विवरण :– खेतों की खडी फसल को काटना इकटठा करना सूखी फसल को अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करके खेत में खलिहान साफ करना। अनाज को फार्म के साधन से लाकर विनोइंग सैंटर पर उतारना। उपरोक्त कार्य के एवज में फसल का नीरा ठेकेदार को मिलेगा तथा फार्म में अतिरिक्त रुपये जमा कराना । थ्रेसिंग आदि का कार्य पूरा होनें तक थ्रेसर आदि फार्म क्षेत्र में ही रहेंगें बाहर नहीं जायेगा।							
ब्लाक 1	35 STG	100.0	-	119.0			
	37 STG	6.5	-	611.0			
	38 STG	140.0	64.0	265.0			
	40 STG	117.0	14.0	353.0			
	42 STG	140.0	4.0	233.0			
	44 STG	279.0	-	420.0			
	BRP-I	110.0	-	347.0			
	TOTAL :-	**892.5**	**82.0**	**2348.0**			
ब्लाक 2	31 A PBN	143.0	19.5	159.0			
	31 B PBN	93.0	20.0	424.5			
	RPM-I	125.0	48.0	495.5			
	RPM-2	112.5	-	519.0			
	RPM-3	97.0	-	410.0			
	RPM-IV	222.0	-	382.0			
	TOTAL :-	**792.5**	**87.5**	**2390.0**			
ब्लाक 3	3 SGM	163.0	-	101.0			
	4 SGM	154.0	42.0	280.0			
	5 SGM	136.0	-	575.0			
	34 PBN	112.0	-	390.0			
	TOTAL :-	**565.0**	**42.0**	**1346.0**			

ठेकेदार के हस्ताक्षर..
नाम व पूरा पता:..
....
मोबाईल न0..
बैंक खाता संख्या / IFSC CODE/BRANCH NAME निविदादाता का..

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज.)

रबी 2018–2019 फसलों की कटाई के लिए नियम एवं शर्ते

1– निविदा दाता/बोलीदाता को रूपये 10000/– मात्र प्रत्येक चक व फसल के लिए धरोहर राशि के रूप में डी. डी. जो की राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ के नाम जमा कराना होगा जो कि कार्य सन्तोषजनक ढ़ग से पूरा होने के बाद बिना व्याज के लौटा दी जायेगी। आवंटित क्षेत्र की 25 प्रतिशत राशि निलामी के दिन ही जमा करानी होगी। रकम जमा नहीं करानें पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी । असफल बोली दाता को राशि चैक द्वारा लौटा दी जायेगी।

2– सरसों/तोरिया, तारामीरा व चना फसलों की कटाई के लिए ठेकेदार को अपने श्रमिक एवं कटाई सम्बन्धित औजारों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी । शेष 75 प्रतिशत राशि थ्रेसिंग शुरू करने से पहले जमा करानी होगी।

3– फसलों की कटाई के बाद पहले छोटे छोटे ढेर लगाने होगें, तथा वह सूखने के बाद एक मुरब्बे में चक प्रभारी द्वारा बताये अनुसार 3 या 4 ढेर लगाने होगें, ढेर बनाने से पहले ढेर लगाने वाली जगह पर खलिहान बनाना होगा। कटी हुई सरसों को पल्ली में डाल कर खलिहान पर इक्कठा करना होगा।

4– सरसों/तोरिया व तारामीरा की थ्रेसिंग ठेकेदार को स्वयं के थ्रेसर से व चने की थ्रेसिंग फार्म कम्बाईन से करनी होगी तथा पूरा अनाज फार्म को देना होगा व नीरा ठेकेदार का होगा ।

5– अनाज को फार्म के वाहन में लादकर सम्बन्धित खण्ड के विनोइंग सेन्टर पर उतारना होगा । संबंधित खेत के खलियान की सफाई भी ठेकेदार को करनी होगी ।

6– ठेकेदार फार्म में कोई पशु आदि नहीं रख सकेगा । नीरा सांय 5 बजे तक ही ले जा सकेगें तथा सुरक्षा विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के चैक करनें पर ठेकेदार चैक कराने से मना नहीं कर सकेगें ।

7– कार्य चक इन्चार्ज व उच्च्य अधिकारियों के आदेशानुसार करना होगा। फसल का अंकित क्षेत्रफल आवष्यकतानुसार घटाया/बढ़ाया जा सकता है । यदि कार्य के दौरान कोई नुकसान हुआ तो उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी ।

8– ठेकेदार को आवंटित कार्य समय पर पूरा करना होगा, यदि श्रमिकों की कमी या अन्य कारणों से फसल को नुकसान हुआ तो दूसरा ठेकेदार लगाया जायेगा तथा अतिरिक्त जो भी खर्चा इस मद में होगा उसकी भरपाई प्रथम ठेकेदार से की जायेगी तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी ।

9– निविदादाता/बोलीदाता द्वारा दी गयी दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार फार्म निदेशक को होगा ।

10– कटाई अथवा थ्रेसिंग के समय किसी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी इसमें फार्म किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा ।

11– कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को 100–00 रूपये का स्टाम्प अपने खर्चे से खरीद कर व सभी शर्तों को उस पर लिखकर देना होगा कि मुझे सभी शर्ते मंजूर हैं ।

12– अधूरा किया गया कार्य जो बीच में ही ठेकेदार द्वारा छोड़ा गया हो वह दूसरे ठेकेदार से करवाया जायेगा तथा इसके बारे में कार्य छोड़े गये ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा साथ में घरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी ।

13– यदि उपरोक्त अनुबन्ध/करार के किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के सह प्रबन्ध निदेशक को संदर्भित किया जायेगा जिसको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं या अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्वीटेटर) के द्वारा विवाद का निवटारा आर्बीटेशन एवं कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराए । पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगी कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बीटेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें ।

14– सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी ।

15– आर्बीटेशन एवं कॉनसिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म परिधि से सम्बन्धित होगा ।

प्रबन्धक (उ)